

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.-1215 / 2013

संस्थित दिनांक-23.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. शिवदयाल उर्फ गोलू पिता स्व. समरलाल, उम्र 21 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम कटंगी किसनटोला थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सुभद्रीबाई पति स्व.फरतुसिंह वरकड़े, उम्र 46 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम कटंगी किसनटोला थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 25 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 / 34, 506 (भाग-2) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 28.11.2013 को दिन के 11:00 बजे ग्राम कटंगी किसनटोला पंचम के घर के सामने थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी गोबरीलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं गोबरीलाल को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गोबरीलाल ने दिनांक 28.11.2013 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 28.11.2013 को सुबह के समय नाले के किनारे से लकड़ी काटकर घर आ रहा था तो पंचम के घर के पास गांव का शिवदयाल उर्फ गोलू और सुभिद्राबाई उसे अश्लील गन्दी-गन्दी गालिया देते हुये बोले कि तुने हमारे बर्रा की लकड़ी काटकर लाया है। कुल्हाड़ी के बेसे से उसको मारा। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 175/13 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 324, 506, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 324/34, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-2) के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी रंजिश वश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.11.2013 को दिन के 11:00 बजे ग्राम कटंगी किसनटोला पंचम के घर के सामने थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी गोबरीलाल को धारदार लोहे की कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी गोबरीलाल (अ.सा.01) का कहना है कि

घटना दिनांक 28.11.2013 को सुबह 09:00-10:00 बजे पंचम और संजु मोडेकर के घर के पास की है। वह नाले के पास से लकड़ी काटकर वापस आ रहा था। आरोपीगण उसे पंचम एवं राजू के घर के पास गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे। आरोपी शिवदयाल ने उससे बोला कि तू मेरी बर्त से लकड़ी काटकर लाया कहकर कुल्हाड़ी से मारा, जिससे उसे दोनों हाथों से खून निकलने लगा। आरोपी ने उसके साथ लकड़ी के बेसे से मारपीट की, जिससे उसके जांघ में चोट आई। पंचम और संजु मोडेकर ने बीच बचाव किये। आरोपी शिवदयाल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता कपूर बिसेन (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 28.11.2013 को फरियादी गोबरीलाल की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी शिवदयाल उर्फ गोलू एवं आरोपी सुभद्राबाई की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 175/13 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल पर जाकर फरियादी गोबरीलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। आरोपी से गवाहों के समक्ष कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी शिवदयाल उर्फ गोलू एवं आरोपी सुभद्राबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 एवं 06 तैयार किया था। फरियादी गोबरीलाल एवं साक्षी रन्जु, पंचमलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.02) का कहना है कि उसने दिनांक 28.11.2013 को आहत के चिकित्सीय परीक्षण में निम्न चोट पाई :- चोट क्रमांक-1 बांये भुजा के कंधे के जोड़ पर पीछे की ओर कंटूजन जो डेढ़Xआधा इंच अनियमित किनारे लालिमा लिये होना पाया। चोट क्रमांक-2 बांये हाथ के पंजे के अन्दर ओर लेसेरेटड 3चौथाईX1चौथाई लिये जमा हुआ रक्त होना पाया था। चोट क्रमांक-3 दाहिने जांघ की बाहर की तरफ कंटूजन जो कि 1X1/2 इंच अनियमित किनारे लिये हुये होना पाया था। अभिमत :- चोट क्रमांक 1 के लिये एक्सरे की सलाह दी थी एवं शेष अन्य सभी चोटे साधारण प्रकृति की उसके परीक्षण के आठ घण्टे के अन्दर की थी। चोट क्रमांक-2 में टांके

लगाये थे। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है। उसके द्वारा आहत का एक्सरे कराया गया था। उसने आहत की एक्सरे रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्सरे प्लेट अर्टिकल ए-1 है। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(10) अभियोजन साक्षी पंचमलाल (अ.सा.03) एवं अभियोजन साक्षी रनजु (अ.सा.04) का कहना है कि घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(11) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी रंजिश वश पुलिस से मिलकर आरोपीगण विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पंचमलाल (अ.सा.03) एवं रनजु (अ.सा.04) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट कथन किये हैं कि घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। विवेचनाकर्ता कपूर बिसेन (अ.सा.05) एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/फरियादी गोबरीलाल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 28.11.2013 को सुबह 09:00-10:00 बजे पंचम और संजु मोडेकर के घर के पास की है। वह नाले के पास से लकड़ी काटकर वापस आ रहा था। आरोपीगण उसे पंचम एवं राजू के घर के पास गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे। आरोपी शिवदयाल ने उससे बोला कि तू मेरी बर्त से लकड़ी काटकर लाया कहकर कुल्हाड़ी से मारा, जिससे उसे दोनों हाथों से खून निकलने लगा। आरोपी ने उसके साथ लकड़ी के बेसे से मारपीट की, जिससे उसके जांघ में चोट आई। पंचम और रंजु मोडेकर ने बीच बचाव किये। आरोपी शिवदयाल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना की

रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्श प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह जो लकड़ी काटकर लाया था उसे आरोपी ने पकड़ कर खींच लिया था। उसने लकड़ी देने से मना दिया तो आरोपी ने घुमाकर कुल्हाड़ी से उसे मारा था।

(14) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता कपूर बिसेन (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 28.11.2013 को फरियादी गोबरीलाल की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी शिवदयाल उर्फ गोलू एवं आरोपी सुभद्राबाई की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 175/13 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। घटनास्थल पर जाकर फरियादी गोबरीलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। आरोपी से गवाहों के समक्ष कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी शिवदयाल उर्फ गोलू एवं आरोपी सुभद्राबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 एवं 06 तैयार किया था। फरियादी गोबरीलाल एवं साक्षी रन्जु, पंचमलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(15) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.02) का कहना है कि उसने दिनांक 28.11.2013 को आहत के चिकित्सीय परीक्षण में निम्न चोट पाई :- चोट क्रमांक-1 बांये भुजा के कंधे के जोड़ पर पीछे की ओर कंटूजन जो डेड़Xआधा इंच अनियमित किनारे लालिमा लिये होना पाया। चोट क्रमांक-2 बांये हाथ के पजे के अन्दर ओर लेसेरेटड 3चौथाईX1चौथाई लिये जमा हुआ रक्त होना पाया था। चोट क्रमांक-3 दाहिने जांघ की बाहर की तरफ कंटूजन जो कि 1X1/2 इंच अनियमित किनारे लिये हुये होना पाया था। अभिमत :- चोट क्रमांक 1 के लिये एक्सरे की सलाह दी थी एवं शेष अन्य सभी चोटे साधारण प्रकृति की उसके परीक्षण के आठ घण्टे के अन्दर की थी। चोट क्रमांक-2 में टांके लगाये थे। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है। उसके द्वारा आहत का एक्सरे कराया गया था। उसने आहत की एक्सरे रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्सरे प्लेट अर्टिकल ए-1 है। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(16) अभियोजन साक्षी पंचमलाल (अ.सा.03) एवं अभियोजन साक्षी रनजु (अ.सा.04) का स्पष्ट कहना है कि घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी गोबरीलाल को लोहे की धारदार कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई थी।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपीगण ने फरियादी गोबरीलाल को लोहे की धारदार कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया। फरियादी गोबरीलाल ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी ने उसे कुल्हाड़ी के बेसा से मारा तथा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे घुमाकर कुल्हाड़ी से मारा था, किन्तु फरियादी गोबरीलाल ने यह नहीं बताया है कि आरोपी ने उसे धारदार लोहे की कुल्हाड़ी से मारा था। डाक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.02) के द्वारा भी आहत को लोहे के धारदार वस्तु के द्वारा चोट पहुंचाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं। डाक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.02) ने आहत को आई सभी चोटे साधारण प्रकृति की होना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपीगण ने दिनांक 28.11.2013 को दिन के 11:00 बजे ग्राम कटंगी किसनटोला पंचम के घर के सामने थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी गोबरीलाल को धारदार लोहे की कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपीगण ने दिनांक 28.11.2013 को दिन के 11:00 बजे ग्राम कटंगी किसनटोला पंचम के घर के सामने थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी गोबरीलाल को धारदार लोहे की कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। यह सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)